

## विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम सत्र 2020–2021

### 1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

#### 1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत –

- 1.1.1 विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण के साथ में इसी विवरणिका में दी गई है लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता, अर्हताकारी परीक्षा में औसतन 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। M0प्र0 के मूल रूप से निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, निःशक्तजनों (M0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में **5 प्रतिशत** की छूट दी जायेगी।
- 1.1.2 यदि किसी पाठ्यक्रम में स्थान रिक्त रहता है तो ऐसे आवेदकों को जिनके अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक हो, तो उसे संबन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि संबन्धित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में ऐसा प्रावधान हो तो। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके कि अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो।
- 1.1.3 महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिक छात्र एवं छात्राओं को ज्योतिर्विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की **छूट**, ऊपर वर्णित छूट के अतिरिक्त प्रदान की जावेगी।
- 1.1.4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- 1.1.5 जिन अभ्यर्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें जीवाजी विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय जमा करना होगा।
- 1.1.6 नये प्रवेश, पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही दिये जायेंगे।
- 1.1.7 ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों का स्थानान्तरण बाहर से हुआ है उनको अन्य सेमेस्टर में भी कुलपति की अनुमति के उपरांत प्रवेश दिया जा सकता है।

## 1.2 प्रवेश हेतु अपात्रता—

- 1.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक / ATKT(प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक)परीक्षा में शामिल हो रहे हैं ।
- 1.2.2 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणोंवश अध्ययन जारी नहीं रखता है, या छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 1.2.3 ऐसे अभ्यर्थी जो कि किसी सक्षम न्यायलय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं या जिनके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन पूर्व में विद्यार्थियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ अनाचरण/मारपीट करने के गम्भीर प्रमाणित आरोप हों या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।
- 1.2.4 सरकारी/गैर-सरकारी कर्मचारी उन नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते जो कार्यालयीन समय में संचालित होते हैं । फिर भी वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं जो नियमित कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं। इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

## 1.3 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता —

- 1.3.1 निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक/ प्रवेश सूचकांक में 5% अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार अभ्यर्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।
- एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य अनुभव ।
  - एन0 सी0 सी0 का सी सर्टिफिकेट ।
  - राष्ट्रीय अथवा अर्न्तविश्वविद्यालयीन स्तर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता ।
  - खेल-कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय/ अर्न्तविश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता ।
  - अर्हताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो ।

नोट—किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 05 प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। अधिभार का उपयोग केवल मेरिट निर्धारण में किया जायेगा, अर्हता निर्धारण में नहीं। अधिभार का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ संबन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया होगा।

- 1.3.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी ।
- 1.3.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उन्हें भी उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

#### 1.4 विशिष्टीकरण (Specialisation) देने संबंधी नियम –

ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को लेने का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न-पत्रों में प्रवेश का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

- 1.4.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु यथा संभव बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 1.4.2 विशिष्टीकरण का आवंटन मेरिट तथा व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट, पिछले सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 1.4.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

#### 1.5 एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –

- 1.5.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश के लिये अर्हताकारी परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम प्रतिष्ठत होना अनिवार्य है, ऐसे अभ्यर्थी को संबन्धित पाठ्यक्रम के पेमेन्ट सीट के शुल्क के अतिरिक्त 25000 यू.एस. डॉलर का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होगा।
- 1.5.2 प्रायोजित स्थान पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों, ऐसे अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबंधी पत्र प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पाठ्यक्रम की पूर्णता के उपरांत उन्हें पुनः कार्य पर रखा जायेगा।
- 1.5.3 उन्हीं अभ्यर्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं,के द्वारा प्रायोजित किया गया हो तथा उनके द्वारा पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान किया जाता है।
- 1.5.4 उक्त आवेदकों को भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रु. 25,000/- पेमेन्ट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।

#### 1.6 अन्य –

- 1.6.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से की गयी है।

## 2. सीटों का आरक्षण

- 2.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।
- 2.2 बाह्य संस्थाओं जैसे (DTEआदि) प्रवेश प्रक्रिया से संचालित होते वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निर्मित माने जावेंगे।
- 2.2.1 एक स्थान विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए।
- 2.6.2 एक स्थान विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए।  
(वार्ड्स का आषय शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है। इस वावत् कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदेशित प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय होगा।)
- नोट: इस प्रकार के निर्मित स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।** यदि स्थान खाली रहते हैं तो इन स्थानों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में (नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों या विपरीत) में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 2.3 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी।
- 2.4 प्रथम प्रवेश सूची के बाद यदि आरक्षित स्थानों के लिये निर्धारित कुछ स्थान रिक्त रहता है तो उस स्थान को दूसरी सूची में ओपन मानते हुये ओपन प्रतिस्पर्धा के आधार पर भरा जायेगा।
- 2.5 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा।
- 2.6 प्रत्येक पाठ्यक्रम में एन.आर.आई/प्रायोजित स्थान निर्धारित स्थान के अतिरिक्त होगा।

## 3. आवेदन कैसे करें ?

- 3.1 ऐसे छात्र जो प्रवेश के लिये आवेदन करना चाहते हैं उनको विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए यह विज्ञापन समाचार पत्र तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट [jiwaji.edu](http://jiwaji.edu) पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को देखकर छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे किस विषय एवं कितने विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना है यह सुनिश्चित करने के पश्चात् छात्र को एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट [mponline.gov.in](http://mponline.gov.in) पर जाना होगा। उक्त साईट के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं आवेदन कर सकता है या एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क केन्द्र पर जाकर वहाँ उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति से जीवाजी विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करनेमें सहयोग प्राप्त कर सकता है। कियोस्क पर जाते समय विद्यार्थी पासपोर्ट आकार के अपने दो नवीनतम् छायाचित्र तथा सभी अंकसूची लेकर अवश्य जाये जिससे कि उन्हें स्केन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा सके।

- 3.2 विद्यार्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम, एवं व्यवसाय माताजी का नाम, जन्म दिनांक, कटेगरी जिससे कि वह संबंधित है, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, पत्र व्यवहार का पता, अन्य गतिविधियों में सहभागिता, छात्र सेवारत है या नहीं इसका प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कि 10 वी, 12वी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षा परिणाम की जानकारी भरना होगी। अन्त में छात्र को घोषणा भी हस्ताक्षरित करनी होगी। उसी समय उन्हें प्राक्टोरियल बोर्ड का फार्म भी भरना होगा। अभ्यर्थी को मोबाइल नम्बर भी लिखना होगा जिससे एस.एम.एस. भेजा जा सके।
- 3.3 अभ्यर्थी की मेरिट उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्कैन किये हुये दस्तावेजों के आधार पर तैयार की जावेगी। दस्तावेजों के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने पर, उसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3.4 आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी को भुगतान की गई फीस रसीद, आवेदन पत्र तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड के फार्म का प्रिंटआउट प्राप्त कर ले। अभ्यर्थी को भरा हुआ आवेदन फार्म का प्रिंटआउट आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों जैसे अपनी सभी अंकसूची की फोटो कॉपी, जातिप्रमाण-पत्र, एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में सहभागिता के प्रमाण-पत्रों को संबंधित विभाग में रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी को विभाग में जमा करना होगा। अभ्यर्थी को विभाग में स्वयं रिपोर्टिंग करते समय सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों को अपने साथ लाना आवश्यक है। जिसकी सूची नियमों के अंत में दी गई है।
- 3.5 प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ नियमों के अंत में दी गई है।
- 3.6 आवेदन पत्र शुल्क ₹.1000/- (आरक्षित वर्ग के लिये ₹.800/-) के साथ प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के लिये अलग-अलग रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹. 200/- एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। (उदाहरणार्थ, यदि कोई अभ्यर्थी तीन विषयों में आवेदन करता है तो उसे रुपये 1000 + 600=1600 आरक्षित वर्ग के लिये रुपये 800 +600=1400 जमा करना होगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम पाँच विषयों में आवेदन कर सकता है।
- 3.7 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश के लिये कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3.8 अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची उनकी मेरिट के आधार पर बनायी जावेगी। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिये सूची अलग-अलग बनायी जायेगी। अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य, दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्प में से किसी एक का उपयोग कर सकता है।

## 4. पाठ्यक्रमों की सूची

S.N	Level	Course		
1	Graduate	<b>B.A.LLB</b>	<b>B.Com. LLB</b>	<b>BBA, BCA</b>
		Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (BHM&CT)		Bachelor of Tourism Management (BTM)
		<b>B.Sc. (Honors) Physics</b>	<b>B.Sc. (Honors) Chemistry</b>	<b>B.Sc. (Honors) Mathematics</b>
		<b>B.Sc. (Honors) Botany</b>	<b>B.Sc. (Honors) Zoology</b>	<b>B.Sc. (Honors) Biochemistry</b>
		<b>B.Com. (Honors)</b>		<b>B.A. (Honors) Mass Communication</b>
2	Post Graduate	<b>M.Sc. Biotechnology</b>	<b>M.Sc. Molecular &amp; Human Genetics</b>	<b>M.Sc. Neuroscience</b>
		<b>M.Sc. Food Technology</b>	<b>M.Sc. Microbiology</b>	<b>M.Sc. Biochemistry</b>
		<b>M.Sc. Environmental Science</b>	<b>M.Sc. Remote Sensing and GIS</b>	<b>M.Sc. Computer Science</b>
		<b>M.Sc. Electronics</b>	<b>M.Sc. Botany</b>	<b>M.Sc. Chemistry</b>
		<b>M.Sc. Environmental Chemistry</b>	<b>M.Sc. Electronics &amp; Instrumentation</b>	<b>M.Sc. Geology</b>
		<b>M.Sc. Industrial Chemistry</b>	<b>M.Sc. Zoology</b>	<b>M.Sc. Mathematics</b>
		<b>M.Sc. Pharmaceutical Chemistry</b>	<b>M.Sc. Physics</b>	<b>M.Sc. Plant and Herbal Resource Management</b>
		<b>M.Sc. Instrumentation and Commercial Methods of Chemical Analysis</b>		
		<b>M.B.A. Business Economics</b>	<b>M.B.A. Chemical Sales &amp; Marketing Management</b>	<b>M.B.A. e-Commerce,</b>
		<b>M.B.A. Financial Administration</b>	<b>M.B.A. Human Resource Development</b>	<b>M.B.A. Hospital Administration</b>
		<b>M.B.A. Tourism Administration</b>	<b>Master in Journalism &amp; Mass Communication (M J M C)</b>	
		<b>M.A. Ancient Indian History Culture and Archaeology (AIHC&amp;A)</b>	<b>M.A. Economics</b>	<b>M.A. English</b>
		<b>M.A. Extension Education and Social Work</b>	<b>M.A. Hindi</b>	<b>M.A. History</b>
		<b>M.A. Jyotirvigyan</b>	<b>M.A. Political Science</b>	<b>M.A. Public Administration</b>
		<b>M.A. Sanskrit</b>	<b>M.A. Yoga</b>	<b>B.Lib.I.Sc</b>
<b>M.Com</b>	<b>L.L.M</b>	<b>M.Lib.I.Sc</b>		
3	PG Diploma	Computer Applications (PGDCA)	Financial Administration	Forensic Science.
		Museology	Retail Management	Yoga
4	Diploma	Food Production	Security Management	Spirituality & Personality Management
		English	French	Printing Technology
5	Certificate Course	English	French	Security Management
6	Vocational Courses	<b>B.Voc. inCosmetic Science &amp; Beauty Culture</b>		
7		<b>M.Pharma.*</b> (Pharmaceutical) and (Industrial Pharmacy),	* - Candidates with GPAT will be given	
8		<b>M.Tech.#</b> : Electronic Engineering , Chemical Engineering	# - Candidates with GATE will be given	

## 5. प्रवेश प्रक्रिया –

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम निम्नानुसार हैं –

5.1. इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की मेरिट इन्डेक्स/ आर्हताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

## 5.2 सूचकांक (Index) निकालने के लिये नियम–

i. विज्ञान एवं जीव विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स बी0 एस–सी0 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी0 एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग** होगा। इस **इन्डेक्स** को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।

ii. अन्य विषयों के लिये स्नातक पाठ्यक्रम जैसे बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0 आदि (तीनों वर्षों छः सत्रों) की परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत इन विषयों में प्रवेश हेतु इन्डेक्स होगा।

iii. स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हताकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष/सत्र में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा हो चुके हैं और अंतिम सत्र का परीक्षा परिणाम प्रतिक्षित है उनके प्रवेश की मेरिट पूर्व के सत्रों के अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

ऐसे अभ्यर्थियों जिनका अंतिम वर्ष/सत्र का परीक्षा परिणाम लंबित है, उनको उनके द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में प्राप्त औसत प्रतिशत उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए। किन्तु ऐसे आवेदकों को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम 14 अगस्त 2020 तक निर्धारित न्यूनतम अर्हता से संबन्धित प्रतिशत के साथ उपलब्ध करवाना होगा।

iv. एम.लिब.आइ.एस.सी. में प्रवेश हेतु बी.लिब.आइ.एस.सी. या यू.जी.सी. द्वारा मान्य बी0लिब0 के समकक्ष परीक्षा का प्रतिशत इन्डेक्स हेतु मान्य किया जायेगा।

v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10+2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।

vi. एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।
- अभ्यर्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।
- अभ्यर्थी जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण की है वरीयता दी जायेगी।

### 5.3 प्रवेश सूचीकी घोषणा:

- 5.3.1.** प्रवेश आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात प्राविधिक प्रवेशित छात्रों की प्रथम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।
- 5.3.2.** इसके बाद प्राविधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम का निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में शुल्क जमा न होने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- 5.3.3.** यदि प्राविधिक रूप से प्रवेशित अभ्यर्थी निर्धारित समय में शुल्क जमा नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि वह संबन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रवेश की पात्रता समाप्त हो जायेगी, तथा उस स्थान पर पात्रता मेरिट/इंडेक्स में उसके बाद के अभ्यर्थी को द्वितीय सूची में वह स्थान आवंटित कर दिया जायेगा।
- 5.3.4.** द्वितीय प्रवेश सूची के नियम भी प्रथम प्रवेश सूची की तरह ही होंगे।
- 5.3.5.** स्थान रिक्त रहने पर विश्वविद्यालय अन्य प्रवेश सूची/सूचियाँ जारी कर सकता है।
- 5.3.6.** विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षित वर्ग (एस.सी./एस.टी./ओबीसी/पी.एच आदि) के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रथम सूची में उनके वर्ग एवं मेरिट के आधार पर प्राविधिक प्रवेश का प्रावधान होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय में शुल्क जमा नहीं करते हैं तो द्वितीय प्रवेश सूची में उनका आरक्षित वर्ग में कोई अधिकार नहीं रहेगा।
- 5.3.7.** प्रथम प्रवेश सूची में रिक्त आरक्षित वर्ग के स्थान द्वितीय सूची में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
- 5.3.8.** कोविड 19 महामारी के कारण प्रवेशार्थी शुल्क आदि का भुगतान करने के पश्चात ही विश्वविद्यालय आना है।
- 5.3.9.** प्रवेश के लिये संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी को स्वयं अपने मूल अंक सूचियाँ, जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/ एनसीसी प्रमाण पत्र/ एनएसएस प्रमाण पत्र/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन के साथ दो छायाचित्र तथा आधार कार्ड लाना है। उक्त सभी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करने की पश्चात जमा कर दी जायेगी तथा मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को वापस कर दिये जायेगे।

### 6. शुल्क वापसी

- 6.1** यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रवेश 14 अगस्त 2020 अथवा प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करता है तो 10 प्रतिशत राशि काटकर उसके द्वारा जमा शुल्क वापस कर दिया जायेगा। उक्त तिथि के बाद प्रवेश निरस्त कराने पर केवल प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी।
- 6.2** यदि अभ्यर्थी किसी शुल्क जमा करने के उपरांत किसी अन्य विषय में प्रवेश चाहता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि नवीन विषय में स्थांतरित कर दी जायेगी। नवीन विषय स्थांतरित की दशा में संबन्धित कोर्स शुल्क के अंतर की राशि विद्यार्थी को अतिरिक्त जमा करनी होगी। विषय परिवर्तन का केवल एक अवसर ही उपलब्ध होगा।
- 6.3** यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम प्रतिशत के साथ अंतिम वर्ष/ सत्र का परीक्षा परिणाम 14 अगस्त 2020 अथवा प्रवेश की अंतिम तिथि तक उपलब्ध नहीं कर पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में विसंगति पायी जाती है तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।



## 7. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

- 7.1 कोई भी स्थिति, जो प्रास्पेक्ट्स में संमिलित नहीं है, के लिये प्रवेश समिति को अग्रेषित की जावेगी जो विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम के अनुसार निर्णय लेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा ।
- 7.2 वैधातिक कानूनी विवाद की स्थिति में ग्वालियर के जूरिडिक्शन में उसका निराकरण होगा ।
- 7.3 विश्वविद्यालय प्रास्पेक्ट्स में उल्लेखित किसी विषय को चलाने या न चलाने के लिये अधिकृत होगा ।
- 7.4 विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा/ प्रवेश निम्नलिखित तालिका में दर्शायी संस्था द्वारा करवाया जाता है:।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा एवं प्रवेश कराने वाली एजेन्सियाँ
1.	B.E. Chemical / B.E. Electronics / B.E. Computer Science	JEE Examination/ Directorate of Technical Education, Bhopal
2.	M.C.A. & M.B.A. (M.M, FM, HRDM )	Conducted by Directorate of Technical Education, Bhopal.
3.	B.Pharma	Conducted by Directorate of Technical Education, Bhopal.
4	B.P.Ed & M.P.Ed.	MP Higher Education through mponline

जो छात्र उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हें भी जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रवेश आवेदन-पत्र भरना होगा ।

- 7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रैगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर यह सब करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- 7.6 यदि रैगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा । यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय उसे संस्था से निष्काषित कर देगा ।
- 7.7 यदि एम0 फिल0 पाठ्यक्रम में 05 तथा अन्य पाठ्यक्रमों में 10 से कम संख्या में वर्ष 2019-20 में छात्र प्रवेश लेते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित न करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है इस दशा में छात्रों को उनके द्वारा जमाशुल्क की समस्त राशि वापिस कर दी जावेगी ।
- 7.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शुल्क मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार लिया जावेगा। उक्त छात्रों द्वारा दी जाने वाली शुल्क का निर्धारण उनके अभिभावकों की कुल आय के आधार पर किया जावेगा। यदि उक्त छात्र पेमेन्ट सीट पर प्रवेश लेते हैं तो उन्हें प्रवेश के समय कॉशन मनी के अलावा पेमेन्ट शुल्क का भी भुगतान करना होगा
- 7.9 जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या अन्य किसी प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवष किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तो उसके संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।
- 7.10 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

- 7.11** प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा बाद में अगर यह पाया जाता है कि कोई प्रवेश प्रशासनिक चूक अथवा प्रवेश कर रहे काउंसलर की गलती से हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिये जावेंगे। इस अवस्था में छात्र द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण फीस वापिस कर दी जावेगी।
- 7.12** छात्र को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश लेने से 3 वर्ष में पूर्ण करना होगा। अगर कोई छात्र उपरोक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। ऐसे छात्र अपना अध्ययन स्वध्यायी अथवा दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से पूर्ण कर सकेंगे।

**संबन्धित विभाग में रिपोर्टिंग के समय जमा किये जाने वाले मुख्य दस्तावेज:**

1. प्रवेश हेतु भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट
2. ऑन-लाइन भरी गयी शुल्क की रसीद
3. दसवी, बारहवी एवं स्नातक परीक्षा की समस्त सेमेस्टरों की अंकसूची
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
5. आरक्षित वर्ग को जारी नवीन आय प्रमाण पत्र
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
7. माइग्रेषन प्रमाण पत्र
8. अंतराल प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी ने 2020 के पूर्व अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो)
9. आधार कार्ड
10. प्राक्टोरियल बोर्ड का फार्म
11. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर ऐण्टी रेगिंग से संबन्धित शपथ पत्र की प्रति
12. नवीन दो पासपोर्ट आकार के छायाचित्र
13. जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये अर्हता प्रमाण पत्र ( Eligibility certificate )

**नोट:** छात्र अपने साथ उक्त सभी प्रमाण पत्रों के स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ मूल प्रमाण पत्र भी अवश्य लायें। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत छात्र को वापस कर दिये जायेंगे।

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबन्धित संशोधित महत्वपूर्ण तिथियाँ

सत्र – 2020–21

- समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि गुरुवार 20 अगस्त, 2020
- समस्त पाठ्यक्रमों की प्रथम प्रवेशित सूची की घोषणा गुरुवार 27 अगस्त, 2020
- समस्त पाठ्यक्रमों की द्वितीय प्रवेशित सूची की घोषणा गुरुवार 3 सितम्बर,
- स्थान रिक्त रहने पर विश्वविद्यालय अन्य प्रवेश सूची/सूचियाँ जारी कर सकता है।
- कोविड-19 परिस्थितियों, सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन, संबन्धित बोर्ड द्वारा 12 के परीक्षफल की घोषणा तथा अन्य परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकता है।

## महत्वपूर्ण तिथियाँ

जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित

सत्र – २०२०–२१

jiwaji.edu or mponline. gov.in के माध्यम से आवेदन उपलब्ध होने की तिथि:- 04 मई 2020			
(i) स्नातक पाठ्यक्रम		(ii) स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम एवंपी.जी. डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	
बिना विलंब शुल्क के साथ प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि	बुधवार 10 जून, 2020	बिना विलंब शुल्क के साथ प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि	सोमवार 01 जून, 2020
विलंब शुल्क के साथ प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि	सोमवार 15 जून, 2020	विलंब शुल्क के साथ प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि	सोमवार 08 जून,2020
प्रथम प्रवेशित सूची प्रदर्शित करने की तिथि	सोमवार 22 जून, 2020	प्रथम प्रवेशित सूची प्रदर्शित करने की तिथि	सोमवार 15 जून, 2020
द्वितीय प्रवेशित सूची प्रदर्शित करने की तिथि	गुरुवार 25 जून, 2020	द्वितीय प्रवेशित सूची प्रदर्शित करने की तिथि	गुरुवार 18 जून, 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्थान रिक्त रहने पर विश्वविद्यालय अन्य प्रवेश सूची/सूचियों जारी कर सकता है।</li> <li>• विलम्ब शुल्क राशि 500/- सभी पाठ्यक्रमों के लिये है।</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• कोविड-19 परिस्थितियों, सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन,संबन्धित बोर्ड द्वारा 12 के परीक्षफल की घोषणा तथा अन्य परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकता है।</li> </ul>			

